न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा, म0प्र0.

निगरानी क्र0/ /016

75

R 5262-II/16

Rs.30/-

01-वीरेन्द्र प्रसाद ॥
दोनो के पिता भुवनेश्वर प्रसाद
02- नारेन्द्र प्रसाद ॥

दोना निवासी ग्राम चचाई, तह0 सेमरिया जिला रीवा, म0प्र0.

------- आवेदकगण

बनाम

01- महेश प्रसाद पिता धनुकधारी निवासी ग्राम चचाई, तह0 सेमरिया जिला रीवा, म0प्र0

----- अनावेदक

श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी द्वारा आज दिनांक 14.6.16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त शाहपुर, तह0 सेमरिया जिला रीवा, म0प्र0. दिनांक 06.02.016.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई0 ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :-

॥01॥ यह कि विषयांकित नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 02.02.016 राजस्व निरीक्षक शाहपुर तह0 सेमरिया द्वारा पारित किया जाकर नक्शा तरमीम की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

॥02॥ यह कि भूमि खसरा क्र0 1632 के तीन बटा नम्बर है, जिसमे से 1632/1/2 एवं 1632/1/1 आवेदकगण के स्वत्त्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है, जो दोनो बटा नम्बर संम्पूर्ण रकबे का आधा हिस्सा और मौके मे उसी अनुसार

निरंतर...

वीरेन्द्र प्रसाद तिवारी
नारेन्द्र प्रसाद तिवारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
निगरानी प्रकरण कमांक 5262–दो/2016 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/4/18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक निल में नक्शा के उपर ही किये गये तरमीम आदेश दिनॉक 6–2–16 के विरूद्व म.प्र. भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के कम में निगरानी की प्रचलनशीलता पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया ने नक्शे के उपर ही रेखांकित कर नक्शा तरमीम किया है जिसके प्रस्ताव भी उनसे सक्षम न्यायालय ने नहीं मांगे हैं। नक्शा तरमीम कार्यवाही म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 के अंतर्गत की जाती है जिसके आदेश की प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को होगी। **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।** फलस्वरूप राजस्व निरीक्षक व्दारा के नक्शा तरमीम आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त कारणों से निगरानी सुनवाई–योग्य न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	